समाजशास्त्र B A Part II, Paper- III

मानवशास्त्र

19/5/20

आदिकालीन - कानून, न्याय

आदिम कानून - (Primitive Law)

प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार व्यवहार या क्रिया करने नही दिया जाता मानवीय क्रिया और अन्तक्रिया के दौरान व्यवहार करने के अनेक सामान्य रूप प्रचलित हो जाते हैं जिन्हें उस समाज के सब या अधिकतर लोग मानते हैं।

जनता की इन रीतियों को जनरीति कहते हैं। यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है। इस हस्तान्तरित होने के दौरान इसे अधिकाधिक समूहों की अभिमति होती है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का सफल अनुभव इसे और भी दृढ़ता देता है समाज मे मान्यता प्राप्त वह जनरीति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी — हस्तान्तरित होती है प्रथा कहलाती है। प्रथा को सामाजिक जीवन मे अधिक दृढ़तापूर्वक लागू किया जाता है और इसकी अवहेलना करने पर निन्दा और पालन करने पर प्रशंसा होती है। परन्तु प्रथा को प्रतिपादित करने, लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने पर अपराधी — को दण्ड देने के लिए कोई संगठित शक्ति नहीं हुआ करती है। प्रथा तो सामाजिक क्रिया-अन्तक्रिया और प्रतिक्रियाओं के दौरान स्वतः क्रियाशील रहती है। कानून मानव व्यवहार से सम्बन्धित वह नियम है जिसे प्रतिपादित करने लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने वाले को दण्ड देने का उत्तरदायित्व एक संगठित शक्ति पर हो।

→ श्री कारडोजो ने कानून की परिभाषा निम्न शब्दों मे की है - कानून आचरण का वह नियम है जिसे इस निश्चितता से प्रतिपादित किया जाता है, अगर भविष्य मे उसकी सत्ता की चुनौती दी गई तो उसे अदालत के द्वारा लागू किया जाएगा।

→ श्री हॉवल के अनुसार - कानून एक सामाजिक नियम है जिसका उल्लंघन होने पर धमकी देने या वास्तव मे शारीरिक बल का प्रयोग करने का अधिकार ऐसे समूह को होता है जिसे ऐसा करने का समाज द्वारा मान्य विशेषाधिकार प्राप्त है।

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कानून का आधार समाज की शक्ति है, यह शक्ति समाज अपने एक समूह को दे देता है जिसे आधुनिक भाषा मे सरकार कहते हैं। सरकार कुछ नियमों को बनाती है और ये नियम उस क्षेत्र मे रहने वाले सभी व्यक्तियों या समूहों पर समान रूप से बिना किसी अपवाद के लागू होते हैं।

Scanned by TapScanner

आधुनिक दृष्टिकोण से जब कानून की परिभाषा आदिम समाज पर प्रयुक्त करते हैं तो हम यह पाते हैं कि वह परिभाषा आदिम समाजों में ठीक-ठीक नहीं बैठती है। दुनिया के अनेक आदिम समाजों में हम पाते हैं कि इन समाजों में न कोई अदालत है और न ही पुलिस संगठन, अनेक आदिम समाजों में तो कानून का उल्लंघन होने पर उसका विचार परिवार या नातेदारी द्वारा ही होता है। दण्ड का स्वरूप भी आधुनिक समाज से काफी भिन्न होता है, जैसे को तैसा' का सिद्धान्त लागू किया जाता है। और उसे उसी कार्य के अनुरूप सजा दी जाती है या मार डाला जाता है या मार-पीटकर छोड़ दिया जाता है। परन्तु इस अन्तर के अलावा भी आदिम समाजों तथा आधुनिक समाजों के कानून में तीन और प्रमुख अन्तरों का उल्लेख श्री लोई ने किया है —

(1) नातेदारी—(Kinship) आदिम समाजों में कानूनों का प्रतिपादन किसी क्षेत्र के आधार पर नहीं होता बल्कि — नातेदारी के आधार पर होता है जितना नातेदारी या रक्त सम्बन्ध था। नातेदारी के महत्व को एक सामान्य अभिव्यक्ति है। इस समाज में मुखिया, शासक या राजा प्रायः वंशानुगत होता है और पिता के मृत्यु के बाद उसका लड़का स्वतः ही शासक या मुखिया मान लिया जाता है। रक्त सम्बन्ध के आधार पर समाज में संगठन और सुव्यवस्था कायम रखना इन समाजों में काफी सरल भी होता है। आदिम समाजों में प्रत्येक गोत्र के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य होते हैं। एक गोत्र का मुखिया अपने गोत्र के लिए कानून बनाता है और उसका पालन करवाता है।

(2) आचार तथा जनमत → आदिम समाजों में कानून तथा, आचार, धर्म आदि के साथ इतना अधिक घुला-मिला होता है कि इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है प्रथा, आचार, धर्म आदि से पृथक आदिकालीन कानूनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं है।

→ 3

आदिम समाजों में पाए जाने वाले कानून के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन समाजों में कानून के पीछे दो प्रकार की अभिमति होती है पहली - सकारात्मक अभिमति - और दूसरी नकारात्मक अभिमति -

सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आदिम समाजों में कानून के पीछे वास्तविक अभिमति जनमत है जिसका महत्व इन समाजों में अत्यधिक है। आदिवासी, कानूनों का पालन अन्धों की भाँति या गुलामों की भाँति नहीं करते और न ही बिना किसी कारण के आपसे आप नियमों का पालन किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि आदिम समाजों में एक और अधिक आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर जादू एवं धर्म सम्बन्धी विश्वासों के कारण सामाजिक नियमों या कानूनों का पालन होता है आदिम समाजों में कानून और प्रथा एक दूसरे से इतना अधिक घुले-मिले होते हैं कि इन दोनों के बीच की विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं है आदिम समाजों में व्यक्ति के अधिकतर व्यवहारों पर नियन्त्रण के द्वारा ही होता है।

आदिम समाजों में न्याय —

From -
Dr Arun Kumar.
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College, Sasaram

Scanned by TapScanner